न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:–39/2021

अनवान :–

1. कृष्ण पिसरान रूपराम जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला
2. मदनलाल हनुमानगढ।
3. संदीप वल्द इन्द्राज जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजासिह वल्द करतारसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन सालीवाला हाल आबाद वार्ड नं 31 गुरुनानक बस्ती संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. दारासिह पिसरान तेजासिह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन सालीवाला
3. पुन्नोसिह हाल आबाद वार्ड नं 31 गुरुनानक बस्ती संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. गुरदीपसिह वल्द साधूसिह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री अब्दुलसतार जोईया अधिवक्ता प्रार्थी

श्री श्योकतअली अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 13/2/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 एस०बी०एन० पटवार हल्का सालीवाला बी के प.न. 197/200 मु.न. 6 कि.न. 3, 4, 5/1/.228 नहरी, 5/2/.025 गै.मु. खाला, 6/1/.228 नहरी, 6/2/025 गै.मु. खाला, 7, 8 प.न. 198/200 मु.न. 7 कि.न. 1/1/.228 नहरी, 1/2/.025 गै.मु. खाला, 10 की आराजी प्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबंदी चक 6 एस0बी0एन0 खाता संख्या 5/4 संम्वत 2075–2078 संलग्न दरख्वास्त है। प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खाता की आराजी में आने–जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नही है, जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपनी आराजी काश्त करने तथा फसल में निकाई–गुडाई करने तथा फसल को खेत से ले जाने आदि में काफी परेशानी होती है। प्रार्थीगण की संयुक्त खाता की आराजी में आने–जाने के लिए कोई रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता की नितांत आवश्यकता है। प्रार्थीगण की आराजी के दक्षिण दिशा में तीन बीघा दूरी पर पत्थर लाईन पर पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुदा रास्ता श्चला आ रहा है, इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी के पूर्व दिशा की ओर चार बीघा दूरी स्वीकृतशुदा रास्ता चला आ रहा है, चूंकि प्रार्थीगण की आराजी के सबसे नजदीकी रास्ता दक्षिण दिशा में तीन बीघा दूरी पर चल रहा है उपरोक्त तीन बीघा आराजी में से एक बीघा आराजी अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से तथा दो बीघा आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज कागजात माल है, इसलिए इन तीन बीघो की आराजी में प्रार्थीगण डेढ – डेढ बिश्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर कागजात माल में अमल दरामद करवाकर चालू करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन कर सके। रास्ता की आराजी के प्रतिकर के रुप में प्रार्थीगण चिपती आराजी अथवा बाजार मूल्य से राशि अदा करने के लिए तैयार है । नकल जमाबंदी चक 6 एस0बी0एन0 खाता संख्या 5, 6, 9 संवत 2075–2078 तथा नजरी नक्शा चक 6 एस०बी०एन० पटवार हल्का सालीवाला बी संलग्न दरख्वास्त है । दरख्वास्त बाबत रास्ता स्वीकृति की है जो एक रुपये की कोर्ट फीस पर तहरीर है तथा काबिल समायत अदालतहाजा के है तथा अंदर मियाद पेश है । लिहाजा दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि चक 6 एस०बी०एन० के प.न. 197/200 मु.न. 6 के कि.न. 15/1/.228 नहरी,

16/1/.228 नहरी, 25/1/.228 नहरी आराजी में डेढ़–डेढ बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर कागजात माल में अमल दरामद करवाया जावे एंव आवागमन हेतु चालू करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी स0 1 के ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 जाब्ता दीवानी संहिता के प्रावधानो के मुताबिक नहीं होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 जिस तरह से वर्णित की गई है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी समस्त आराजी का विवरण नहीं दिया है । प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित यह कथन कि प्रार्थीगण कि उपरोक्त संयुक्त खाता की आराजी में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपनी आराजी काश्त करने व फसल में निकाई गुड़ाई करने तथा फसल को खेत में से ले जाने में काफी परेशानी होती है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में प० न० न० 197/200 के मु० न0 6 के किला न० 21, 20, 11, 10, 1 में चल रहे आराजी रास्ता से आवागमन करते है। यह कथन कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाता की आराजी में कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है, अस्वीकार है बल्कि प्रार्थीगण इसी प० न० 197/200 मु0 न0 6 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 में चल रहे रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है । यह कथन कि प्रार्थीगण की आराजी की दक्षिण दिशा में 3 बीघा दुरी पर पत्थर लाईन पर पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुदा रास्ता चला आ रहा है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी की पूर्व दिशा की ओर 4 बीघा दुरी पर स्वीकृतशुदा रास्ता चला आ रहा है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को मिथ्या तथ्यों पर सही तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया है। प्रार्थीगण की आराजी प० न० 197/200 मु0 न0 6 में स्थित चालू रास्ता जो कि किला न0 21, 20, 11, 10, 1 के पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण दिशा की ओर चल रहे रास्ता के मात्र 2 बीघा दुरी पर ही स्थित है। इसी प० न० के किला न0 1, 2, 9 जो कि प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य की भूमि है। यह कथन कि प्रार्थीगण की आराजी के सबसे नजदीकी रास्ता दक्षिण दिशा में तीन बीघा दुरी पर चल रहा है, अस्वीकार है बल्कि प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक रास्ता पश्चिम दिशा में दो बीघा की दुरी पर चल रहा है। यह कथन कि उपरोक्त तीन बीघा आराजी में से एक बीघा आराजी अप्रार्थीगण स० 4 के नाम से तथा दो बीघा आराजी अप्रार्थीगण स० 1 ता 3 के नाम दर्ज कागजात है जिस तरह से वर्णित की गई है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की किसी भी चरण स० में कही पर भी यह वर्णित नहीं किया कि प्रार्थीगण को हम अप्रार्थीगण के कौनसे चक की तथा कौनसे प० न० के कौनसे किला न0 में किस दिशा में रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है । प्रार्थीगण ने अधूरे तथ्यो पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह तथ्य कि प्रार्थीगण 12–12 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर कागजात अमल दरामद करवाकर चालू करवाना चाहते है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने इस तथ्य का सपष्ट उल्लेख कहीं नहीं किया है कि वह हम अप्रार्थीगण के कौनसे किला न0 के किस दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं । अन्य समस्त तथ्य अस्वीकार है । अतिरिक्त कथन प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की किसी भी चरण स० में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि कौनसे चक के कौनसे प० न० के कौनसे किला न0 के किस दिशा में कौनसा रास्ता चालू है तथा वह हम अप्रार्थीगण के कौन कौन से किला न० में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अधूरे तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुतोष में मात्र चक 6 एस.बी.एन. के प० न० 197/200 के मु० न0 6 के किला न0 15/1/0.228, 16/1/0.228, 25/1/0.228 में नहरी आराजी में 12–1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का कथन किया है। प्रार्थीगण ने यहा पर भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि वह कौन कौन से किला न0 की कौनसी दिशा में किस तरफ रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है । वर्तमान में उक्त किला न0 की पत्थर लाईन पर गै० मु० खाला चल रहा है। उक्त गै० मु० खाला से खाला के दोनो तरफ सिंचाई करते है। उक्त गै० मु० खाला से हम अप्रार्थीगण के किला न0 15, 16, 25 में सिंचाई होती है। प्रार्थीगण उक्त किला नम्बर में रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नहीं है क्योकि उक्त किला में गै० मु० खाला चला आ रहा है। प्रार्थीगण वर्तमान में इसी चक के प० न० 197/200 के मु० न0 6 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 के पश्चिम दिशा में दक्षिण की तरफ चल रहे रास्ता का प्रयोग

करके अपनी कृषि भूमि में आवागमन करते है । उक्त रास्ता से प्रार्थीगण की कृषि भूमि मात्र 2 बीघा पर स्थित है। प्रार्थीगण वर्तमान में चल रहे उपरोक्त रास्ता जो कि प० न० 197/200 के मु० न0 6 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 की पश्चिम दिशा में रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज व ऐतराज नहीं है। विधिक प्रावधानो के अनुसार भी गै० मु० खाला की जगह पर अथवा चिपता रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। अप्रार्थी स0 2 व 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया किप्रार्थना पत्र की दफा 1 जाब्ता दीवानी संहिता के प्रावधानो के मुताबिक नहीं होने के कारण अस्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 जिस तरह से वर्णित की गई है, अस्वीकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी समस्त आराजी का विवरण नहीं दिया है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित यह कथन कि प्रार्थीगण कि उपरोक्त संयुक्त खाता की आराजी में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपनी आराजी काश्त करने व फसल में निकाई गुड़ाई करने तथा फसल को खेत में से ले जाने में काफी परेशानी होती है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में प० न० न0 197/200 के मु० न0 6 के किला न० 21, 20, 11, 10, 1 में चल रहे आराजी रास्ता से आवागमन करते है । यह कथन कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाता की आराजी में कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है, अस्वीकार है बल्कि प्रार्थीगण इसी प० न० 197/200 मु0 न0 6 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 में चल रहे रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है । यह कथन कि प्रार्थीगण की आराजी की दक्षिण दिशा में 3 बीघा दुरी पर पत्थर लाईन पर पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुदा रास्ता चला आ रहा है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी की पूर्व दिशा की ओर 4 बीघा दुरी पर स्वीकृतशुदा रास्ता चला आ रहा है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को मिथ्या तथ्यों पर सही तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया है। प्रार्थीगण की आराजी प० न० 197/200 मु0 न0 6 में स्थित चालू रास्ता जो कि किला न0 21, 20, 11, 10, 1 के पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण दिशा की ओर चल रहे रास्ता के मात्र 2 बीघा दुरी पर ही स्थित है। इसी प० न० के किला न0 1, 2, 9 जो कि प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य की भूमि है। यह कथन कि प्रार्थीगण की आराजी के सबसे नजदीकी रास्ता दक्षिण दिशा में तीन बीघा दुरी पर चल रहा है, अस्वीकार है बल्कि प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक रास्ता पश्चिम दिशा में दो बीघा की दुरी पर चल रहा है। यह कथन कि उपरोक्त तीन बीघा आराजी में से एक बीघा आराजी अप्रार्थीगण स० 4 के नाम से तथा दो बीघा आराजी अप्रार्थीगण स० 1 ता 3 के नाम दर्ज कागजात है जिस तरह से वर्णित की गई है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की किसी भी चरण स० में कही पर भी यह वर्णित नहीं किया है कि प्रार्थीगण को हम अप्रार्थीगण के कौनसे चक की तथा कौनसे प० न० के कौनसे किला न0 में किस दिशा में रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है । प्रार्थीगण ने अधूरे तथ्यो पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह तथ्य कि प्रार्थीगण 12 – 1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर कागजात अमल दरामद करवाकर चालू करवाना चाहते है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने इस तथ्य का सपष्ट उल्लेख कहीं नहीं किया है कि वह हम अप्रार्थीगण के कौनसे किला न0 के किस दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं अन्य समस्त तथ्य अस्वीकार है। अतिरिक्त कथन प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की किसी भी चरण स० में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि कौनसे चक के कौनसे प० न० के कौनसे किला न० दिशा में कौनसा रास्ता चालू है तथा वह हम अप्रार्थीगण के कौन कौन से किला न० में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है । प्रार्थीगण ने अधूरे तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुतोष में मात्र चक 6 एस.बी.एन. के प० न० 197/200 के मु० न0 6 के किला न0 15/1/0.228, 16/1/0.228, 25/1/0.228 में नहरी आराजी में 1½ – 1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का कथन किया है। प्रार्थीगण ने यहा पर भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि वह कौन कौन से किला न0 की कौनसी दिशा में किस तरफ रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। वर्तमान में उक्त किला न0 की पत्थर लाईन पर गै० मु० खाला चल रहा है। उक्त गै० मु० खाला से खाला के दोनो तरफ सिंचाई करते है। उक्त गै० मु० खाला से हम अप्रार्थीगण के किला न0 15, 16, 25 में सिंचाई होती है। प्रार्थीगण उक्त किला नम्बर में रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नहीं है क्योकि उक्त किला में गै० मु० खाला के चला आ रहा है। प्रार्थीगण वर्तमान में

इसी चक के प० न० 197 / 200 मु० न० 6 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 के पश्चिम दिशा में दक्षिण की तरफ चल रहे रास्ता का प्रयोग करके अपनी कृषि भूमि में आवागमन करते है । उक्त रास्ता से प्रार्थीगण की कृषि भूमि मात्र 2 बीघा पर स्थित है। प्रार्थीगण वर्तमान में चल रहे उपरोक्त रास्ता जो कि प० न० 197 / 200 के मु0 न0 6 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 की पश्चिम दिशा में रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। विधिक प्रावधानो के अनुसार भी गै० मु० खाला की जगह पर अथवा चिपता रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र की दफा 1 जाब्ता दीवानी संहिता के प्रावधानो के मुताबिक नहीं होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 जिस तरह से वर्णित की गई है, अस्वीकार है । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी समस्त आराजी का विवरण नहीं दिया है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित यह कथन कि प्रार्थीगण कि उपरोक्त संयुक्त खाता की आराजी में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपनी आराजी काश्त करने व फसल में निकाई गुड़ाई करने तथा फसल को खेत में से ले जाने में काफी परेशानी होती है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में प० न० न० 197 / 200 के मु० न0 6 के किला न० 21, 20, 11, 10, 1 में चल रहे आराजी रास्ता से आवागमन करते है । यह कथन कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाता की आराजी में कोई रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है, अस्वीकार है बल्कि प्रार्थीगण इसी प० न० 197 / 200 मु० न० 6 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 में चल रहे रास्ता से आवागमन करते चले आ रहे है । यह कथन कि प्रार्थीगण की आराजी की दक्षिण दिशा में 3 बीघा दुरी पर पत्थर लाईन पर पूर्व से पश्चिम स्वीकृतशुदा रास्ता चला अ रहा है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी की पूर्व दिशा की ओर 4 बीघा दु पर स्वीकृतशुदा रास्ता चला आ रहा है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र क मिथ्या तथ्यों पर सही तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया है। प्रार्थीगण की आराजी पा न० 197 / 200 मु० न0 6 में स्थित चालू रास्ता जो कि किला न0 21, 20, 11, 10, 1 के पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण दिशा की ओर चल रहे रास्ता के मात्र 2 बीघा दुरी पर ही स्थित है। इसी प० न० के किला न0 1, 2, 9 जो कि प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य की भूमि है। यह कथन कि प्रार्थीगण की आराजी के सबसे नजदीकी रास्ता दक्षिण दिशा में तीन बीघा दुरी पर चल रहा है, अस्वीकार है बल्कि प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक रास्ता पश्चिम दिशा में दो बीघा की दुरी पर चल रहा है। यह कथन कि उपरोक्त तीन बीघा आराजी में से एक बीघा आराजी अप्रार्थीगण स० 4 के नाम से तथा दो बीघा आराजी अप्रार्थीगण स० 1 ता 3 के नाम दर्ज कागजात है जिस तरह से वर्णित की गई है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की किसी भी चरण स० में कही पर भी यह वर्णित नहीं किया है कि प्रार्थीगण को हम अप्रार्थीगण के कौनसे चक की तथा कौनसे प० न० के कौनसे किला न0 में किस दिशा में रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है । प्रार्थीगण ने अधूरे तथ्यो पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह तथ्य कि प्रार्थीगण 12–12 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर कागजात अमल दरामद करवाकर चालू करवाना चाहते है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने इस तथ्य का सपष्ट उल्लेख कहीं नहीं किया है कि वह हम अप्रार्थीगण के कौनसे किला न0 के किस दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। अन्य समस्त तथ्य अस्वीकार है । अतिरिक्त कथन प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की किसी भी चरण स० उल्लेख नहीं किया है कि कौनसे चक के कौनसे प० न० के कौनसे किला न0 के किस दिशा में कौनसा रास्ता चालू है तथा वह हम अप्रार्थीगण के कौन कौन से किला न० में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अधूरे तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुतोष में मात्र चक 6 एस. बी. एन. के प० न० 197 / 200 के मु० न0 6 के किला न0 15 / 1 / 0.228, 16 / 1 / 0.228, 25 / 1 / 0.228 में नहरी आराजी में 112–1½ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने का कथन किया है। प्रार्थीगण ने यहा पर भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि वह कौन कौन से किला न0 की कौनसी दिशा में किस तरफ रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है । वर्तमान में उक्त किला न0 की पत्थर लाईन पर गै० मु० खाला चल रहा है। उक्त गै० मु० खाला से खाला के दोनो तरफ सिंचाई करते है। उक्त गै० मु० खाला से हम अप्रार्थीगण के किला न0 15, 16, 25 में सिंचाई होती है। प्रार्थीगण उक्त किला नम्बर में रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नहीं

है क्योकि उक्त किला में गै० मु० खाला चला आ रहा है। प्रार्थीगण वर्तमान में इसी चक के प० न० 197/200 के मु० न० 6 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 के पश्चिम दिशा में दक्षिण की तरफ चल रहे रास्ता का प्रयोग करके अपनी कृषि भूमि में आवागमन करते है। उक्त रास्ता से प्रार्थीगण की कृषि भूमि मात्र 2 बीघा पर स्थित है। प्रार्थीगण वर्तमान में चल रहे उपरोक्त रास्ता जो कि प० न० 197/200 के मु० न0 6 के किला न0 21, 20, 11, 10, 1 की पश्चिम दिशा में रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। विधिक प्रावधानो के अनुसार भी गै० मु० खाला की जगह पर अथवा चिपता रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है।

तहसीलदार राजस्व टिब्बी के पत्रांक राजस्व/2022/935 दिनांक 27.04.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई मुताबिक तहसीलदार राजस्व टिब्बी रिपोर्ट प्रार्थी को काई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है खेत खाली होने पर पडोसी काश्तकारो की सहमति से अपने खेत मे आते जाते है व प्रार्थीयान की मांग पर प0न0 197/200 के किला न0 15,16,25 में है मौके पर राजस्व रिकोर्ड में खाला दर्ज है परन्तु मौके पर चालू नही है ना ही खाला का निर्माण हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के खेत में निकटतम कटानी रास्ता चक 8 एसबीएन के प0न0 198/201 के किला न0 5 में से गुजरता है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 ख प्रार्थना पत्र सीपीसी पेश किया, उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश होने पर प्रार्थना पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2024 को प्रार्थना पत्र खारिज किया गया उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर में अपील की गयी, उक्त अपील माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर 28.08.2025 द्वारा खारिज कर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा।

पत्रावली न्यायालय हाजा को पुन प्राप्त होने पर पत्रावली पेशी में ली गयी, बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया तहसीलदार राजस्व टिब्बी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए (1) में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है (2) अन्य खातेदार की जोत में से विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने व प्रस्तावित रास्ते के आत्यांतिक आवश्यकता होने व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए आरटीए के प्रावधानों के सुसंगत होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 6 एस बी एन के प0न0 197/200 मु 6 के किला न0 15/1/.228 नहरी व 16/1/.228 नहरी व किला न0 25/1/.228 में उत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ डेढ–डेढ बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

स्वीकृत किये गये रास्ते के बदले में अप्रार्थी स0 4 गुरदीप सिंह को किला न0 23 में से उतर से दक्षिण अप्रार्थी स0 4 की खातेदारी के चिपते डैढ बिश्वा व अप्रार्थी स0 1 ता 3 के खाते में अप्रार्थीगण के चिपते प्रार्थी के किला न0 6 ता 8 में पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला से डेढ बिश्वा किला न0 15 में स्वीकृत रास्ते की सीध में किला न0 6 कॉर्नर को छोडते हुए भूमि अप्रार्थीगण के हिस्सा में समायोजित किया जाकर प्रार्थीगण का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आदिनाक 13/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(सत[illegible]नारा[illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी